(b) 18 per cent out of the above distributorships have gone to persons belonging to SC/ST category. Since there is no separate reservation in the allotment of distributorships/dealerships of petroleum products for Muslims and Backward Classes, no statistics on them are maintained;

(c) About 66 complaints relating to delay in release of new connections, non-delivery of cylinders at home, forcing to purchase hotplates, overcharging of refill, etc. were received by the oil industry against the distributorship mentioned in (a) above. All the complaints were investigated and appropriate action wherever necessary has been taken as per Oil Industry's Marketing Discipline Guidelines.

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा विद्युत कनेक्शन प्रदान करने में विलम्ब

3744. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक**: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन के लिये आवेदकों द्वारा प्रतिभूति राशि जमा करा दिये जाने के 15 दिन अथवा एक महीने के पश्चात भी दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान आवेदकों को विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार इस प्रयोजन हेतु कोई समय सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) के अनुसार नये घरेलू विद्युत कनेक्शनों के ऊर्जन के लिये उनके द्वारा 15 दिन की समयावधि निर्धारित की गई है जिसका सामान्यतया पालन किया जाता है। तथापि कुछ मामलों में विभिन्न कारणों से विलम्ब हो सकता है जिनमें ये शामिल हैं–कोलोनाइजर द्वारा संबंधित क्षेत्र को समुचित रूप से विद्युतीकृत न किया जाना, नये उपभोक्ताओं द्वारा विकास प्रभारों का भुगतान न किया जाना संबंधित निवास के संबंध में बकाया राशि सहित उस निवास में विद्युत कनेक्शन कटा होना मकान मालिक एवं किरायेदार के बीच विवाद होना और उपभोक्ताओं द्वारा वाणिज्यिक औपचारिकताओं को पूरा न किया जाना।

नए घरेलू कनेक्शनों को निर्धारित समय-सीमा में ऊर्जित करने के लिये डेसू द्वारा पूरे प्रयास किये जाते है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Production of Oxytetracycline

3745. DR. RATNAKAR PANDEY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1416 given in the Rajya Sabha on the 9th May, 1988 and state:

(a) what are the various Oxytetracycline which were the subject matter of litigation in the Supreme Court and what was the production of each from the date of litigation to the date of promulgation of DPCO, 1987 year-wise;

(b) what were the prices approved by Government of each formulations and what were being charged by the company alongwith the production of each formulation year-wise;

(c) at what rate was the recovery made in respect of each bulk drug and each formulation; and

(d) whether it is obligatory under the Drug Price Control Orders 1979 and 1987 to provide production and sales turnover of each formulation?